

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित एनिकट निर्माण /2019-20/

दिनांक 22/5/2020

उपायुक्त,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

बांसवाड़ा ।

9856-65

विषय : तालाब रिपेयर एवं रिनोवेशन कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

संदर्भ : अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बांसवाड़ा का पत्र क्रमांक 1981

दिनांक 17.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 3763 दि.05.02.2020 द्वारा तालाब रिपेयर एवं रिनोवेशन कार्यों की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नलिखित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी- जल संसाधन विभाग

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किशत देय राशि
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिपेयर एण्ड रिनोवेशन ऑफ झरनिया तालाब ग्राम पंचायत झरनीया	बांसवाड़ा	2763 05.02.2020	7.05	29/2019-20	77.05	46.23
2	रिपेयर एण्ड रिनोवेशन ऑफ फेफर तालाब ग्राम पंचायत फेफर	छोटी सरवन	2763 05.02.2020	12.21	33/2019-20	12.21	7.32
3	रिनोवेशन ऑफ नलदा तालाब ग्राम पंचायत नलदा	बांसवाड़ा	2763 05.02.2020	41.53	30/2019-20	41.53	24.92
4	रिपेयर एण्ड रिनोवेशन ऑफ भूतपाड़ा तालाब ग्राम पंचायत बडलीपाड़ा	बांसवाड़ा	2763 05.02.2020	48.68	31/2019-20	48.68	29.20
5	रिपेयर एण्ड रिनोवेशन ऑफ बोरखाबर तालाब ग्राम पंचायत बडलीपाड़ा	बांसवाड़ा	2763 05.02.2020	20.43	32/2019-20	20.43	12.26
	योग			129.90		199.90	119.93

उपरोक्त कार्यों पर स्वीकृत राशि 199.90 लाख के विरुद्ध प्रथम किशत की राशि (60%) कॉलम संख्या-8 अनुसार रु. 119.93 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1200.93 लाख रु. में से उपलब्ध बचत राशि से होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। कार्यों के संपादन में प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्य की निविदा समय पर आमंत्रित की जावे एवं कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जावे। विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा में सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की परामर्श के बिना नहीं किया जावे। कार्यादेश की पति इस विभाग को भिजवावे।

5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
6. कार्यों का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावें।
7. प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे

-sd-

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

क्र. एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित एनिकट निर्माण /2019-20/9856-65-दिनांक : 22 ⁵/₂₀₂₀
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड बांसवाडा ।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद लाख रु. अन्तर्गत 50/2018-19 दिनांक 16.01.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1200.93 लाख में से उपलब्ध राशि में से उपरोक्त कार्यों हेतु कॉलम संख्या-8 अनुसार प्रथम किश्त (60%) राशि 119.93 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करावें।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

10

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर